रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 फरवरी, 2005/29 माघ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 3 फरवरी, 2005

संख्या पी० सी० एच० (कु०) ग्रा० पं० कोट-2004-191-194.—उप-प्रधान, ग्रम पंचायत कोट सहित ग्राम वासियों द्वारा श्रीमती चन्द्रकांता, प्रधान ग्राम पंचायत कोट के विरुद्ध शिकायत निदेशक, पंचायती राज विभाग को प्रेषित की गई है । शिकायत पत्र में उद्धत आरोपों की जांच उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण), पंचायती राज विभाग, हि० प्र० द्वारा दिनांक 11, 12-12-2003 को मुख्यालय ग्राम पंचायत कोट में की गई । उक्त जांच से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट में उल्लेखित निष्कर्षों के आधार पर आरोप प्राथमिक दृष्टि से सही पाये गये हैं ।

जांच रिपोर्ट अनुसार वर्णित आरोपों के संदर्भ में प्रधान ग्राम पंचायत कोट को जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी० सी० एच० (कु०) ग्रा० पं० कोट-2004-103I-34, दिनांक 3 जून, 2004 के अन्तर्गत स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देश दिए गए थे । प्रधान, ग्राम पंचायत कोट से अपने विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिनांक 16-7-2004 को दिया गया उसमें उक्त पंचायत पदाधिकारी द्वारा अपने विरुद्ध आरोपों का यद्यपि खण्डन किया है परन्तु इन आरोपों के सत्य न होने का कोई पुष्ट आधार अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं

किया है । आरोपों के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आरोपित पंचायत पदाधिकारी से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरणों की जांच पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धित प्रलेखों के प्रकाश में की गई तथा स्पष्टीकरण को अस्पष्ट अप्रमाण्य तथा आधारहीन पाया गया है । आरोपित प्रधान ग्राम पंचायत कोट अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से ऐसा कोई प्रमाण प्रलेख अथवा तर्क प्रस्तुत करने में असफल रही है जिससे आरोपों की विश्वसनीयता पर सन्देह उत्पन्न हो । अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम पंचायत कोट द्वारा क्रियान्वित विकास कार्यों का पुनर्मूल्यांकन सहायक अभियन्ता ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय स्थित आनी द्वारा भी करवाया गया है। सहायक अभियन्ता से प्राप्त पुर्नमूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा भी ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कुछ निर्माण कार्यों में तकनीकी रूप से मूल्यांकन राशी से अधिक अनियमित रूप से व्यय किये जाने की पुष्टि होती है । अतः इस आरोप को भी संलग्न आरोप पत्र में क्रमांक-6 पर क्रमबद्ध किया गया है ।

उपरोक्त वर्णिक तथ्यों के प्रकाश में तथा इस सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए कि आरोपित उक्त पंचायत पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख में अपने हित में फेरबदल कर सकता है, अपने विरुद्ध प्रमाणों को नष्ट कर सकता है तथा नियमित जांच से पूर्व अपने विरुद्ध साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त जिला कुल्लू, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम-142 (1) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती चन्द्रकांता, प्रधान, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड निरमण्ड जिला कुल्लू को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से निलम्बित करता हूं तथा यह निर्देश देता हूं कि ग्राम पंचायत कोट की कोई चल सम्पत्ती अथवा अभिलेख जो कि यदि उनके अधिकार में हों तो तुरन्त पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कोट को सौंप दें। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे संलग्न आरोपों के सम्बन्ध में तथ्यों पर आधारित अपना स्पष्टीकरण इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।

संलग्न—आरोप पत्र ।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ।

आरोप पत्र

उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोट सहित ग्राम वासियों द्वारा श्रीमती चन्द्रकांता, प्रधान ग्राम पंचायत कोट, के विरुद्ध शिकायत निदेशक, पंचायती राज विभाग को प्रेषित की गई है । शिकायत पत्र में उद्दृत आरोपों की जांच उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण), पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 11, 12-12-2003 को मुख्यालय, ग्राम पंचायत कोट में की गई है । उक्त जांच से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट में उल्लेखित निष्कर्षों के आधार पर निम्न आरोप प्राथमिक दृष्टि में सही पाये गये हैं ।

1. प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11-5-2003 को ग्राम सभा की बुलाई गई बैठक में नियमानुसार आहर्य संख्या पूर्ण नहीं थी आहर्य संख्या पूर्ण न होते हुए भी प्रधान ग्राम पंचायत जो बैठक की अध्यक्षता के लिए उक्त दिन उपस्थित थी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मात्र 70-72 ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति में अनियमित रूप से बैठक की कार्यवाही करते हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में लेखबद्ध किये गये हैं इन प्रस्तावों के माध्यम से वित्त आयोग से प्राप्त विकासात्मक अनुदान के अन्तर्गत करवाई जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थीयों का चयन तथा बुढ़ापा पैंशन के लिए लाभार्थीयों के चयन सबन्धी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित दर्शाये गये हैं यह गम्भीर अनियमिता का मामला ही नहीं अपितु प्रधान ग्राम पंचायत के पद का दुरुपयोग भी है । जांच अवसर पर उपस्थित ग्राम पंचायत सदस्यों तथा पंचायत सहायक द्वारा अपने लिखित ब्यान में पुष्टि की है कि प्रधान ग्राम पंचायत ने आहर्य संख्या पूर्ण न होने पर जाली हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर में करवाकर आहर्य संख्या पूर्ण दर्शाने का अनियमित प्रयास किया । कि प्रधान ग्राम प्रंचायत का उक्त कृत्य इस सन्देह के लिए पुष्ट आधार प्रस्तुत करता है कि प्रधान ग्राम

पंचायत ने ग्राम सभा सदस्यों की ग्राम सहमति लिए बिना अपनी इच्छा अनिच्छा के आधार पर उक्त कार्यक्रमाधीन व्यक्तियों का चयन किया अथवा योजनाएं चयनित की हैं । इस प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत ने अनियमित रूप से कार्यवाही कर अपने पद का दुरुपयोग करने के साथ-साथ ग्राम सभा जैसी प्रतिष्ठित पंचायती राज संस्था के वैधानिक अधिकारों का हनन किया है ।

2. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 8-11-2001 के अन्तर्गत निर्माण सोर्स टैंक पेयजल योजना अगंतुआ हेतु मस्ट्रोल (अवधि 1-11-2001 से 9-12-2001 तक) श्रीमती देवा देवी ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत कोट के नाम जारी किए गया परन्तु इस योजना का कार्यान्वयन पंचायत सदस्य द्वारा न करवा कर प्रधान ग्राम पंचायत ने इस कार्य को करवाया इस तथ्य की स्विकारोक्ति प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा जांच अवसर पर लेखबद्ध कराये अपने ब्यान में भी की है । यह निर्माण कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निष्पादित दर्शाया गया है । तथा इस पर मु0 8483/- रुपये की मजदूरी 11497/- रु0 निर्माण सामग्री पर व्यय दर्शाया गया है उप-प्रधान व श्रीमती देवा देवी सदस्य वार्ड अगंतुआ द्वारा जांच अवसर पर लेखबद्ध ब्यान में स्पष्ट किया है कि यह कार्य सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित किया है जबकि सम्बन्धित विभाग के कनिष्ट अभियन्ता द्वारा अपने लिखित ब्यान में उक्त कार्य का कियान्वयन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया बताया गया है । तथा ग्राम पंचायत द्वारा गत वर्ष इसकी मुरम्मत की गई बताई है । अपने ब्यान में कनिष्ट अभियन्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रधान ग्राम पंचायत के आग्रह पर उनके विभाग के एक फीटर द्वारा जो उसी गांव से सबन्ध रखता है उक्त योजना के पाईपों की फिटिंग की गई है परन्तु इस पर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग का कोई व्यय नहीं हुआ है । जांच अवसर पर ग्राम पंचायत के, अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण सामग्री 20-11-2001 को विभिन्न स्थान जैसे रामपुर पिपल हटटी, तथा बागीपुल से क्रय की गई दर्शाई गई है । परन्तु इन स्थानों से ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा निर्माण स्थल तक निर्माण सामग्री की ढुलाई का किराया निर्माण सामग्री के उतराई व लदान का व्यय नहीं दर्शाया गया है जो इस सन्देह को प्रगाप्त आधार प्रस्तुत करता है कि पंचायत का मस्ट्रोल मु0 8483/- रुपये अवधि 11-11-2001 से 9-12-2001 तथा निर्माण सामग्री पर पंचायत रोकड़ के अनुसार व्यय मु0 11497/- रुपये सम्बन्धी रसीदें जाली हैं । फर्जी रूप से संधारित की गई है । जैसा कि ऊपर वर्णित है निर्माण सामग्री 20-11-2001 को क्रय की गई है जबकि ऊपर वर्णित मस्ट्रोल के अनुसार निर्माण कार्य 11-11-2001 से आरम्भ हुआ दर्शाया गया है । बिना निर्माण सामग्री के दिनांक 11-11-2001 से 20-11-2001 तक इस कार्य पर दर्शाये गये मजदूरों तथा मिस्त्री के कार्य का क्या औचित्य है इस कार्य पर 130 बैग बजरी, 15 बैग सिमेंट का उपयोग दर्शाया गया है परन्तु क्रय निर्माण सामग्री में रेत का कोई उल्लेख नहीं है, बिना रेत के सीमेंट तथा बजरी का उपयोग अविश्वसनीय है अतः ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में निर्माण स्त्रोत टैंक पेयजल योजना अगंतुआ पर ग्राम पंचायत द्वारा दर्शाया गया व्यय सन्देह की परिधि में आता है इस प्रकार यह मु0 19980/- रुपये की पंचायत राशि के छलहरण का स्पष्ट मामला बनता है ।

3. जांच अवसर पर ग्राम पंचायत कोट के अभिलेख की जांच करने पर प्रधान ग्राम पंचायत के विरुद्ध इस आरोप की पुष्टि हुई कि ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में प्रयोग लाई गई रेत स्थानीय दरों से अधिक दर पर क्रय की गई है । विभिन्न निर्माण/विकास कार्यों पर प्रयोग में लाये गये सीमेंट के अनुपात में रेत की खपत बहुत अधिक दर्शाई गई है जो तकनीकी मानको के अनुरूप नहीं है । ग्राम पंचायत द्वारा गत दो वर्षों में अनुदान राशि से विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन में उपयोग में लाये गये सीमेंट व रेत का विवरण पंचायत अभिलेख अनुसार निम्नतः है ।

विवरणिका-1

क्र0 सं0	कार्य का नाम	गाड़ी	क्रय रेत	क्रय सीमेंट
1	2	3	4	5
1.	प्रा0 पाठशाला. भेखवा	6	2200, 2200, 2600, 2600, 2500, 2700.	77

1	2	3	4	5
2.	प्रा0 पाठशाला पकौरा-2	2	2600, 2700	37
3.	नि0 सराय कोट	1	2400	30
4.	गांव देथवा की गलियों को पक्का करना।	2	2000, 2000	38
5.	प्रा0 पाठशाला ब्यूणी	7	2000, 2000, 2400, 2400, 2600, 2400, 2500.	95
6.	सामुदायिक भवन भेखवा	1	2700	20
7.	वांशिग प्लेट फार्म श्लोग	1	2700	20
8.	सराय निर्माण मूल	1	2700	20
9.	खेल मैदान पकोरा	1	2700	15
10.	पक्का रास्ता कलारस नगाह	2	2600, 2600	40
11.	रिटेनिंग वाल पाठशाला ब्यूणी	1	2220	15
12.	पक्का रास्ता ब्यूणी	2	2600, 2300	35
13.	पक्का रास्ता जोवा	1	2700	42

उपरोक्त विवरणिका के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि रेत की दरों में असमानता है स्थानीय दर के अनुसार मु0 1800/- रुपये (150 फुट) प्रति गाड़ी है स्थानीय दर में मु0 200/- रुपये की दर से प्रति ट्रक दर से वृद्धि करने पर मु0 2000/- रुपये प्रति ट्रक (150 फूट) रेत की दर से उपर दिये विवरण के दृष्टिगत कुल क्रय रेत के व्यय त्रय पर हुए व्यय की गणना करें तो भी ग्राम तंचायत द्वारा मु0 12600/- रुपये अधिक व्यय दर्शाया गया है ऊपर दिये विवरण से इस आरोप की पुष्टि होती है कि पंचायत द्वारा क्रय किये गये रेत के अनुपात में सीमेंट की खपत में भारी असमानता है जो तकनीकी मानकों की कसौटी में किसी भी स्थिति में सही नहीं है पक्का रास्ता जोवा के लिऐं 3.57 प्राथमिक पाठशाला ब्यूणी हेतु 11 05 प्राथमिक पाठशाला भेखवा में 11.70 खेल मैदान पकोरा के 10 के अनुपात में एक बैग सीमेंट के साथ रेत लगाई गई है जो विश्वासनीय नहीं जान पड़ती है। उपरोक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रधान ग्राम पंचायत की देखरेख में हुआ है तथा निर्माण कार्यों के लिए क्रय निर्माण सामग्री को व्यय रसीदें प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित हैं। सन्देह है कि उक्त पंचायत पदाधिकारी द्वारा निर्माण सामग्री की व्यय रसीदें पंचायत में प्रस्तुत की हैं। वे सत्या तथा वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं है।

4. पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख की जांच के अनुसार प्रधान, ग्राम पंचायत के पास म0 9700 रु0 निम्न विवरणिका अनुसार अनियमित रूप से शेष अग्रिम राशि के रूप में रहे हैं।

विवरणिका-2

नाम कार्य जिसके अग्रिम राशि दी है	बाउचर संख्या व रोकड़ पृष्ठ	दी गई राशि	वापिस राशि व दिनांक	बकाया
सराय निर्माण नाग मन्दिर।	45/87	1000	6250/ 3-01-2002	3750
रा0 प्रा0 पा0 पकौरा।	53/90	1000	5000/ 20-12-2002	5000
रा0 प्रा0 पा0 भेखवा	105/3	25000	24050/ 10-2-2002	950
			कुल योग	9700

उपरोक्त विवरणिका में दर्शाये निर्माण कार्य यद्यपि पूर्ण हो चुके हैं फिर भी प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा इन कार्यों के निष्पादन हेतु ली गई अग्रिम राशियों का पूर्णरूपेन समायोजन न करवाना अनियमित तथा पद के दुरुपयोग का गम्भीर मामला है इसके अतिरिक्त जांच दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 को प्रधान के हाथ मु0 12316/- रुपये नगद शेष के रूप में पाए गए जोकि हि0प्र0 पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा संपरिक्षा कराधान तथा भत्ता नियम, 10 की गम्भीर उल्लंघना है। नकद शेष मु0 12316/- रुपये तथा उपरोक्तानुसार अग्रिम राशियों की शेष राशि मु0 9700/- रुपये अर्थात कुल राशि मु0 22006/- रुपये प्रधान ग्राम पंचायत से बैंक ब्याज दर सहित वसूली योग्य शेष है।

5. जांच के निष्कर्ष के आधार पर शिकायतकर्ता की यह शिकायत कि सामुदायिक भवन, भेखवा व रा0 प्रा0 पा0 भवन, भेखवा का निर्माण कार्य तकनीकी दृष्टि से अपेक्षित स्तर का नहीं है, सत्य प्रतीत होता है। प्राथमिक पाठशाला भेखवा का जो एक कमरा निर्मित है, को डी0 पी0 ई0 पी0 शीर्ष के अन्तर्गत निर्मित स्कूल भवन के साथ जोड़ा गया है लैन्टिर सामने की ओर 1.5 फुट कम डाला गया है तथा लैन्टिर की मोटाई भी एक इंच कम है। फर्श भी 1.5 फुट आगे की ओर कम डाला गया है। लैन्टिर में पानी का रिसाव निर्माण कार्य के निम्न स्तर की पुष्टि करता है जिसके लिए प्रधान ग्राम पंचायत निर्माण कमेटी के सदस्यों सहित पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

6. ग्राम पंचायत कोट द्वारा क्रियान्वित निर्माण/विकास कार्यों का मूल्यांकन सहायक अभियन्ता ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय स्थित ग्रानी से करवाया गया सहायक अभियन्ता द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेषित मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित निम्न निर्माण/विकास कार्यों पर व्यय तकनीकी मूल्यांकन से अधिक किया गया है।

विवरणिका-3

क0स0	निर्माण विकास कार्य	स्वीकृत राशि	अभिलेख अनुसार व्यय राशि	विकास/निर्माण कार्य का मूल्यांकन	मूल्यांकन से अधिक व्यय
1	2	3	3	4	5
1.	निर्माण प्रा0 पा0 भवन ग्राम पकौरा	150000	100000	97702	2298

1	2	3	4	5	6
2.	निर्माण पक्की गलियां गांव देथवा।	40000	39983	32291	7692
3.	निर्माण सराय ग्राम मूल	140000	140000	132848	7152
4.	निर्माण पक्का रास्ता कलारस से नगाह।	49000	49000	45870	3130
5.	निर्माण पक्का रास्ता ग्राम व्यूणी।	40000	40000	34690	5310
6.	निर्माण पक्का रास्ता ग्राम जोवा।	50000	49953	33571	16382
		469000	418936	376972	41964

उपरोक्त विवरणिका से पुष्टि होती है कि ग्राम पंचायत कोट ने उपरोक्त दर्शाए निर्माण/विकास कार्यों के तकनीकी मूल्यांकन से अधिक मु0 41964/- रु0 अनियमित रूप से व्यय किए दर्शाए हैं। स्पष्ट है कि उक्त कार्यों से सम्बन्धी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित व्यय रसीदों की विश्वसनीयता सन्देहस्पद है। उक्त कार्यों से सम्बन्धी व्यय रसीदों के अनुसार अदायगी क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा की गई है अतः मु0 41964/- रु0 जो उक्त निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से अधिक व्यय अनियमित रूप से किया गया है उसका दायित्व पूर्णतः प्रधान, ग्राम पंचायत कोट पर है।

अतः एतद्द्वारा श्रीमती चन्द्रकान्ता, प्रधान ग्राम पंचायत कोट को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस आरोप पत्र में उद्धत आरोपों पर (क्र0 सं0 1 से क्र0 सं0 6 तक) के सन्दर्भ में अपना पक्ष लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। नियत अवधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसरण में नियमाधीन आगामी कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 8 फरवरी, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु) कारण बताओ/त्याग-पत्र-26/30.—एतद्द्वारा श्री मेहिन्द्र सिंह, पंच, ग्राम पंचायत नरैश, डा0 पीपलांआगे, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नत: है: -

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती।"

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है, अर्थात 8 जन, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 5286, दिनांक 2-11-2004 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है कि आपके तीसरी सन्तान जून, 2001 के पश्चात उत्पन्न हुई है । ग्राम पंचायत नरैश के प्रस्ताव संख्या 8, दिनांक 6-10-2004 के अनुसार आपके तीसरी सन्तान मनदीप सिंह दिनांक 24-6-2004 को उत्पन्न हुई है ।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

कुल्लू, 9 फरवरी, 2005

संख्या पी० सी० एच० (कु) कारण बताओ नोटिस/2004-05-225-28.—ग्राम पंचायत डीम, विकास खण्ड निरमण्ड की जनता द्वारा जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू के ध्यान में लाया है कि श्री जगत राम, सदस्य (पंच), ग्राम पंचायत डीम, वार्ड संख्या 5 की तीसरी सन्तान मास अगस्त, 2004 में उत्पन्न हुई है । इसलिए श्री जगत राम, सदस्य ग्राम पंचायत डीम, वार्ड संख्या 5, विकास खण्ड निरमण्ड का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि :

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती है ।"

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-धीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

आर० डी० नजीम,
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित